12(ए) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

नई आर्थिक नीति 1991 को अंतर्मुखी बनाने के साथ, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 तैयार की गई, जिसने अंततः भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्थापना, एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के रूप में 1977 को हुई। यह विशेष रूप से दूरसंचार उद्योग में सार्वजनिक और निजी दोनों दूरसंचार कंपनियों के लिए एक समतल भूमिका चिहिन्त करने के लिए किया गया था।

इसके बाद एक नई दूरसंचार नीति, 1999 में बनाई गई, जिसके अंतर्गत ट्राई को दूरसंचार मुद्दों को विनियमित करने के लिए और शक्तियाँ प्रदान की गईं। निश्चित लाइसेंस शुल्क से बचने के लिए राजस्व बंटवारे की अवधारणा प्रारम्भ की गई और साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरर्राश्ट्रीय लंबी दूरी की योजनाएँ भी। बीएसएनएल का गठन इंटरनेट के भारतीय बाजारों में प्रवेश होने के साथ हुआ।

संगठनात्मक संरचना

इसमें दो पूर्णकालिक और दो अंषकालिक सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिकतम तीन वर्ष के लिए पद धारण करते हैं या जब तक कि उनकी आयु 65 वर्ष की ना हो, जो भी पहले आता है। ट्राई का सचिवालय एक सचिव के नेतृत्व में होता है और अलग–अलग गतिविधियों को देखने के लिए इसमें दस प्रभाग होते हैं।

1. फिक्स्ड नेटवर्क
2. मोबाइल नेटवर्क
3. अभिसरित नेटवर्क
4. आर्थिक विभाजन
5. वित्तीय विश्लेषण
6. प्रशासन और कार्मिक
7. सेवाओं की गुणवत्ता
8. कानूनी प्रभाग
9. प्रसारण और केबल सेवाएँ
10. विनियामक प्रवर्तन

कार्य

ट्राई उन नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है, जो एक सेवा प्रदाता में होना आवश्यक है और साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रदाता द्वारा इनकी अनुपालना हो रही है। यह गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा इनका समावेश सुनिश्चित करता है। इसके नियमों और शर्तों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए यह कार्यरत प्रौद्योगिकी जैसे स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन को भी देखता है। यह क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का निरीक्षण और संचालन करता है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर–संपर्क के नियमों और शर्तों को तय करता है और साथ ही साथ तकनीकी अनुकूलता, प्रभावी

परस्पर–क्रिया और पारदर्शिता को सक्षम बनाये रखने के लिए इनका रिकॉर्ड भी रखता है। यह विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच राजस्व की व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जो राजस्व उनकी सेवाओं से प्राप्त होता है।

सेवा की गुणवत्ता

ट्राई की नीति की धारा 11 (b)(v) यह निर्धारित करती है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए ट्राई ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियत कालीन निगरानी करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएँ सार्वजनिक हित में हैं। ट्राई प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा इन मानकों की अनुपालना की रिपोर्ट लेता है और तिमाही आधार पर निगरानी करता है।

उपभोक्ता संरक्षण

ट्राई ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई पहल की हैं। इसने गैर सरकारी संगठनों और समर्थक समूहों के परामर्ष से एक चार्टर तैयार किया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता के साथ दूरसंचार सेवाओं का प्रावधान किया जा सके। साथ ही, ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए मई 2007 में एक शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की है। एक सेवा केन्द्र के अंतर्गत एक कॉल सेंटर, नोडल अधिकारी, और अपीलिय प्राधिकरण की तीन स्तरीय नोडर संचरना प्रदान की जानी है। एक दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोश भी स्थापित किया गया है, जिससे अध्ययन और बाजार अनुसंधान परियोजनाएँ की जा सके। साथ ही, एक 'टेलीकॉम अनसॉलिसिडेट कॉमर्षियल कम्युनिकेषंस रेगुलेषंस (2007)' को भी बनाया गया है, जिसमें ऐसी रचना की गई है, जो राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल पर अंकुष लगाता है।

टैरिफ विनियमन

ट्राई के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ नियमों के लिए आदेश पत्र तैयार करना है, जिससे उपभोक्ताओं को समर्थ और प्रभावी सेवाएँ प्रदान की जा सके। इसके साथ ही, टैरिफ नीति की योजना इस तरह में बनाई जाती हैं, जिससे ग्राहकों को घटते टैरिफ का लाभ मिल सके। ट्राई ने सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में अपने संबंधित टैरिफ योजनाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व

दूरसंचार नीति (1999) के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं की सार्वभौमिकता से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नियामकिय प्राधिकरण आपॅरेटरों पर सार्वभौमिक सेवाओं पर कर लगाते हैं, जो उनके द्वारा कमाये राजस्व का एक प्रतिशत होता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं की वृद्धि के लिए युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई और भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम (2006) के साथ देशभर में इंटरनेट जुटाने के लिए विभिन्न उपाय इस संबंध में ट्राई द्वारा किये हैं, जो एक उल्लेखनीय पहल है।

अब हम, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पर चर्चा करेंगे।